24.09.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को बार-बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा कमलापुरा पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 524/185 रकबा 0.65 हैक्टयर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम की संयुक्त खातेदारी आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 अर्थात 2/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है नर्मदा नहर परियोजना खण्ड तृतीय सांचौर द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त खसरे में से 0.0432 हैक्टयर भूमि अधिग्रहण कर अवाप्त की गई भूमि का हल्का पटवारी कमलापुरा द्वारा राजस्व रेकर्ड में दो भागो में अलग खसरा नम्बर 699/524 रकबा 0.432 हैक्टयर दर्ज प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के भू-भाग का अलग कोई नवीन खसरा बनाया गया है। गलत मौके से भिन्न तरमीम का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल पैदा कर जबर प्रवेश कर बेदखली की धमी देते है। एक नाजायज गिरोह बनाकर मौके पर आये बजरी,पत्थर डालकर नीव खोद कर मौके पर आये तथा पक्का निर्माण कर विषयवस्तु में रदोबदल करने लगे मना करने पर नही माने । जिसमें प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण को नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसका आंकलन रूपयों पैसो में करना कतई मुमकिन नही होगा। अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद ताफैसला तक रोका जावें।

हमनें वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी आराज़ी प्रकट होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध को अन्तिम रूप से मूल वाद ताफैसला तक पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि मौजा कमलापुरा पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 524/185 रकबा 0.65 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.27 16:51:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner